न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3042–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–2013 एवं 3–7–14 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील सिरमौर जिला रीवा कमशः प्रकरण कमांक 11/अ5/05–06 एवं 17/अ–12/12–13

.....

मोहम्मद आलीम खां तनय श्री गुलेसत्तार खां
उम्र 31 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम सिरमौर पो0 थाना व तहसील सिरमौर जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

शासन म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री यज्ञनारायण पटेल, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2-12-2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील सिरमौर

जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2013 एवं 3–7–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक अलीम मोहम्मद पुत्र श्री गुले सत्तार खॉ द्वारा ग्राम सिरमौर की आराजी कमांक–1705/2 रकवा 0.22 है. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के कम में नक्शा तरमीम आदेश दिनांक–27.2.13 को आधार मान कर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकन करने का आदेश दिया । राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा दिनांक– 6.3.2014 को सीमांकन की कार्यवाही की गयी जिसमें आवेदक द्वारा यह आपत्ति पेश की गयी कि यह सीमांकन नक्शा तरमीम आदेश दिनांक–27.2.13 के मुताविक नहीं है सीमांकन नक्शा तरमीम आदेश दिनांक–27.2.13 के आधार पर कराया जावे । आवेदक की उक्त आपत्ति के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक–12.6.14 को पुनः राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को आदेशित किया गया कि वे मौके पर जाकर दिनांक–27.2.13 को किए गये नक्शा तर्मीम के आधार पर मोके पर पर मुनारों से मिलान कर जांच की गयी और पुनः जांच प्रतिवेदन दिनांक–27.6.14 प्रस्तुत किया गया कि आराजी कमांक–1705 की चौहद्दी मिलान होती है तथा जहां पर नक्शा तर्मीम किया जाकर 1705/2 दर्शित किया गया है वह आवेदित सर्वे कमांक–1705 की सीमा के अंदर ही है । इस कार्यवाही पर पुनः आवेदक द्वारा वही आपत्ति उठायी गयी जो पूर्व में दिनांक–10.3.2014 को उठायी गयी थी । तहसीलदार द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर आवेदक द्वारा बार–बार उठायी गयी आपत्ति निरीस्त करते हुए पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक–6.3.14 को किए गये सीमांकन प्रतिवेदन को आपने आदेश दिनांक–3.7.14 से पुष्टि करते हुए सीमांकन कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक–3.7.14 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 2005 में भूमि सर्वे कमांक

1705/2 रकबा 0.089 हैक्टेयर क्य किया गया था, जिसका नक्शा तरमीम राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 13–7–11 के अनुसार तहसीलदार के प्रकरण कमांक 11/अ–5/05–06 में पारित आदेश दिनांक 27–2–13 से उक्त सर्वे कमांक 1705/2 का नक्शा तर्मीम किया गया, जिसके संबंध में समस्त सरहदी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नक्शा तरमीम प्रस्ताव के पंचनामा दिनांक 29–6–11 पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है । तथा यह नक्शा तरमीम विक्रय पत्र दिनांक 26–9–05 के अनुसार सही है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त नक्शा तर्मीम प्रस्ताव एवं नक्शा तर्मीम आदेश के विरूद्ध किए गये सीमांकन आदेश दिनांक 3–7–14 को निरस्त कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही उक्त नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक 27–2–13 के अनुसार किए जाने का निवेदन किया गया । उक्त के अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमों में अंकित है, जिन्हे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा ।

4/ प्रकरण में अनावेदक शासन है । शासन की ओर से अभिलेख के आधार पर निर्णय लिया जावेगा ।

5/ प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 3–7–14 का अवलोकन किया गया तथा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 13–3–13 एवं पंचनामा दिनांक 13–3–13 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि पटवारी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 13–3–13 एवं पंचनामा दिनांक 13–3–13 में यह कही अंकित नहीं किया गया कि सीमांकन हेतु स्थाई सीमा चिन्ह किसे माना गया, जिसे आधार मान कर नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 27–2–13 के अनुसार सीमांकन किया जाना सिद्ध होता हो।

सीमाकंन आदेश दिनांक 3–7–14 का अवलोकन करने पर पाया गया है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–7–14 के बिन्दु 4 में यह अंकित किया गया है कि नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 27–2–13 एवं विक्रय पत्र विलेख में अंकित चोहद्दी से नहीं होता है । बिन्दु कमांक 5 में अंकित है कि उक्त भूमि की जांच हेतु

पुनः नक्शे में उपलब्ध मुनारों से नाप कर जांच के आदेश राजस्व निरीक्षक को दिए गये कि कहीं तरमीम में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं रह गई । जांच से पाया गया कि की गयी नक्शा तर्मीम कार्यवाही सर्वे कमांक 1702 की सीमा में ही है जिसका उल्लेख बिन्दु कमांक 6 में अंकित किया गया है कि आवेदक के नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक 27–2–13 के अनुसार नक्शा तर्मीम के मुताबिक सीमांकन कर सीमा बताई गई किन्तु आवेदक द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा यह अंकित किया गया है कि आवेदक द्वारा नक्शा तर्मीम आदेश के विरूद्ध यदि वह असंतुष्ट था तो किसी वरिष्ठ न्यायालय निगरानी/अपील प्रस्तुत कर वरिष्ठ न्यायालय का आदेश प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में नक्शा तर्मीम के आदेश में बिना किसी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के संशोधन किए जाने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है । तहसीलदार द्वारा अपने सीमांकन आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि यदि आवेदक को 27–2–13 के नक्शा तर्मीम की चौहद्दी से असंतुष्ट है तो उसे वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी करना चाहिए। जो आवेदक द्वारा नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक 27–2–13 प्रभावशील है जिसके अनुसार सीमांकन की कार्यवाही सही की गई है, जिसकी पुष्टि की गई ।

तहसीलदार के सीमांकन आदेश के अवलोकन से पाया कि उनके द्वारा अपने आदेश में यह कही भी अंकित नहीं किया गया कि सीमांकन हेतु किस स्थान पर मुनारे गाढ़े गये थे तथा किस बंदोबस्ती सीमा चिन्ह को सीमांकन का आधार बनाया गया था जहां से सीमांकन प्रारंभ किया गया । यह अपने सीमांकन आदेश में कही भी उल्लेख नहीं किया गया है । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि प्रकरण में किए गये सीमांकन का मुख्य विवाद एवं मुख्य मामला नक्शा तरमीम पर आधारित है, और नक्शा तर्मीम तभी सही एवं सुदृढ़ किया जा सकता है जब पहले वादग्रस्त भूमि सीमांकित करके भूमि की चतुर्दिशा निश्चित कर दी जावेगी । इस प्रकार की कार्यवाही किए बिना किए गये

नक्शा तर्मीम के आधार पर किया गया सीमांकन आदेश किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता है ।

6/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन आदेश दिनांक 3–7–14 स्थगित किया जाता है तथा तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे फील्ड बुक में एवं नक्शे में मुनारे दर्शित करते हुए स्थाई बंदोबस्ती सीमा चिन्ह को सीमांकन का आधार मानकर नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक 27–2–13 के अनुसार तथा विक्रय पत्र में अंकित सीमाओं को आधार मान कर समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं व्यक्तियों को सूचित करते हुए समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ नये सिरे से तीन माह में सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करें । प्रकरण में पुनः सीमांकन की कार्यवाही एवं सीमांकन आदेश होने पर पूर्व का सीमांकन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगो। आवेदक एवं हितबद्ध व्यक्तियों को भी आदेशित किया जाता है कि वे इस आदेश की संसूचना के एक माह के अंदर संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर सीमांकन कार्यवाही में अपना सहयोग करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो । प्रकरण दा0रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर